न्यायालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला ब्यावर।

पीठासीन अधिकारी – हारून, आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद (क्लेम याचिका) संख्या 09/2021
सी.आई.एस. संख्याः 09/2021
CNR No.– RJBE010002012021

01. नारायण सिंह पुत्र नोज सिंह, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी ग्राम बीण, पोस्ट बणजारी, पुलिस थाना टॉडगढ़, तहसील टॉडगढ़, जिला अजमेर, हाल जिला ब्यावर।

02. श्रीमती प्यारी देवी पत्नी नारायण सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम बीण, पोस्ट बणजारी, पुलिस थाना टॉडगढ़, तहसील टॉडगढ़, जिला अजमेर, हाल जिला ब्यावर।

....प्रार्थीगण

बनाम

01. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जरिये चेयरमैन, अजमेर।

02. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जरिये सहायक अभियंता, टॉडगढ़, जिला अजमेर, हाल जिला ब्यावर।

03. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जरिये कनिष्ठ अभियंता, टॉडगढ़, जिला अजमेर, हाल जिला ब्यावर।

04. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जरिये अधिशासी अभियंता, ब्यावर, जिला अजमेर, हाल जिला ब्यावर।

....अप्रार्थीगण

क्षतिपूर्ति मांग पत्र अंतर्गत धारा 1 क घातक दुर्घटना अधिनियम

उपस्थितः–
1. श्री मुकेश दवे, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
2. श्री शैलेंदर गण्डेर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण।

:: निर्णय :: **दिनांकः 18.03.2026**

1. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/क्षतिपूर्ति मांग पत्र अंतर्गत धारा 1 क घातक दुर्घटना अधिनियम प्रार्थीगण के पुत्र की मृत्यु होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.01.2021 को प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण इलाकों में उपेक्षा

एवं लापरवाही के परिणामस्वरूप विद्युत तारों की पेड़ों से अलग हटाकर सर्विस लाईन नहीं लगाने के कारण दिनांक 12.06.2019 को समय लगभग 0830 बजे सुबह महेन्द्र सिंह अपने खेत पर स्थित पेड़ की छंगाई कर रहा था, जहां पेड़ के पास से निकलती हुई विद्युत लाईन के कारण पेड़ की टहनी में करंट आने से महेन्द्र सिंह के हाथ में अकस्मात करंट आ गया, जिससे महेन्द्र सिंह के दाहिने हाथ की अंगुली व अंगूठा जल गया तथा दोनों पैरों में करंट आने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी मृग प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2019 पुलिस थाना टॉडगढ़ में दी गई। उक्त दुर्घटना अप्रार्थीगण के विद्युत रख–रखाव में घोर उपेक्षा एवं लापरवाही के परिणामस्वरूप महेन्द्र सिंह की मृत्यु होने से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने जाने की प्रार्थना की।

3. अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा आयु बाबत्, व्यवसाय बाबत् तथा आय प्रमाण हेतु किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा जो आरोप निगम पर लगाए गए हैं, उसमें कोई सत्यता नहीं है। मृतक स्वयं की लापरवाही से ही उक्त घटना कारित हुई है। मृग रिपोर्ट संख्या 18 दिनांक 12.06.2019 पुलिस थाना टॉडगढ़ में दर्ज अनुसार मृतक महेन्द्र सिंह दिनांक 12.06.2019 को स्वयं के खेत पर स्थित पेड़ पर चढ़कर पेड़ की छंगाई कर रहा था। छंगाई करते समय पेड़ की टहनी पास में से जा रही विद्युत लाईन को टच हो गई, जिसकी वजह से उक्त दुर्घटना स्वयं मृतक की लापरवाही से घटित हुई है। दिनांक 12.06.2019 को विद्युत विभाग में किसी भी प्रकार से कोई विद्युत फॉल्ट बाबत्, तार टूटने की सूचना बाबत् कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, जिससे यह साबित होता हो कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण उक्त दुर्घटना कारित हुई हो। निगम को सूचना प्राप्त होने पर निगम द्वारा जांच करवाई गई, जिसके अंतर्गत सहायक अभियंता द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जाकर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्थानीय लोगों के बयान लिए गए। उक्त बयानों के आधार पर यह साबित हुआ कि मृतक महेन्द्र सिंह पेड़ पर चढ़ कर टहनियां काट रहा था, जिसमें से एक टहनी काटते समय लाईन के सम्पर्क में आ गई। उस वजह से मृतक स्वयं की लापरवाही से मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसमें निगम की कोई भी लापरवाही नहीं है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

पत्र को सव्यय खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 31.01.2023 को प्रकरण में निम्न विवाद्यक विरचित किए गए थेः–

 01. आया दिनांक 12.06.2019 को समय प्रातः लगभग 14:10 बजे मौजा ग्राम बीण पुलिस थाना टॉडगढ़ के क्षेत्राधिकार में अप्रार्थीगण की घोर उपेक्षा एवं लापरवाही के परिणाम स्वरूप विद्युत तारों को पेड़ों से अलग हटाकर सर्विस लाईन नहीं लगाने के कारण महेन्द्र सिंह के पेड़ की टहनी से करन्ट आने से उसकी मृत्यु हो गई?

 02. आया प्रार्थीगण मांग पत्र में वर्णित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है?

 03. आया अप्रार्थीगण के जवाब मांग पत्र में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी नहीं हैं?

 04. अनुतोष

5. प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.डब्ल्यू. 01 नारायण सिंह, ए.डब्ल्यू. 02 ज्ञानसिंह का सशपथ परीक्षण करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 01 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 02 कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना टॉडगढ़ द्वारा पुलिस उप अधीक्षक को प्रेषित पत्र दिनांक 01.07.2019, प्रदर्श 03 फर्द पंचायतनामा, प्रदर्श 04 अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण, प्रदर्श 05 अंतिम प्रतिवेदन अकाल या अचानक मौत इंसान, प्रदर्श 06 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श 07 प्रतिलिपि रोजनामचा आम, प्रदर्श 08 फर्द नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श 09 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श 10 चिकित्साधिकारी को लिखा गया पत्र, प्रदर्श 11 बयान ज्ञान सिंह, प्रदर्श 12 बयान नारायण सिंह, प्रदर्श 13 बयान अमरसिंह, प्रदर्श 14 बयान लादूसिंह, प्रदर्श 15 सूचना के अंधिकार के तहत सूचना उपलबध कराने बाबत् पत्र, प्रदर्श 16 अंतिम प्रतिवेदन अकाल या अचानक मौत इंसान को प्रदर्शित करवाया।

6. अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में एन.ए.डब्ल्यू. 01 कुंवरपाल सिंह, एन.ए.डब्ल्यू. 02 लक्ष्मण सिंह का सशपथ परीक्षण करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए. 01 बयान कुंवरपाल सिंह, प्रदर्श एन.ए. 02 बयान लक्ष्मण सिंह, प्रदर्श एन.ए. 03 बयान रोड सिंह, प्रदर्श एन.ए. 04 बयान सीता देवी, प्रदर्श एन.ए. 05 बयान प्यारी देवी, प्रदर्श एन.ए. 06 बयान नारायण सिंह, प्रदर्श एन.ए. 07 नक्शा

उपरली बीन, बनजारी, प्रदर्श एन.ए. 08 intimation of accident (उक्त दस्तावेजात् की प्रतिलिपि प्रदर्श एन.ए. 1 ए लगायत एन.ए.8 ए है), प्रदर्श एन.ए. 09 जांच रिपोर्ट, प्रदर्श एन.ए. 10 ता प्रदर्श एन.ए. 12 फोटोग्राफ्स को प्रदर्शित करवाया है।

7. उक्त विवाद्यकों के संबंध में मेरा विवेचन निम्नप्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01 व 02</u>:–

8. उक्त दोनों विवाद्यक एक–दूसरे से संबंधित होने के करण दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त विवाद्यक का सिद्धिभार प्रार्थी पर रखा गया है, जिसके संबंध में प्रार्थी की तरफ से प्रार्थी नारायण सिंह स्वयं बतौर ए.डब्ल्यू. 01 उपस्थित हुआ है, जिसने अपना हल्फनामा पेश किया, जिसमें दुर्घटना की ताईद करते हुए कथन किया है कि उसका बेटा पेड़ पर टहनियां काट रहा था। टहनी तार के टच हो गई, जिससे करंट लगने से उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अन्य गवाह न्यायालय में ए.डब्ल्यू. 02 ज्ञानसिंह उपस्थित हुआ, उसने भी अपना हल्फनामा पेश कर प्रार्थी के कथनों को दोहराया है। प्रार्थी की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 02 कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना टॉडगढ़ द्वारा पुलिस उप अधीक्षक को प्रेषित पत्र दिनांक 01.07.2019, प्रदर्श 03 फर्द पंचायतनामा, प्रदर्श 04 अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण, प्रदर्श 05 अंतिम प्रतिवेदन अकाल या अचानक मौत इंसान, प्रदर्श 06 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श 07 प्रतिलिपि रोजनामचा आम, प्रदर्श 08 फर्द नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श 09 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श 10 चिकित्साधिकारी को लिखा गया पत्र, प्रदर्श 11 बयान ज्ञान सिंह, प्रदर्श 12 बयान नारायण सिंह, प्रदर्श 13 बयान अमरसिंह, प्रदर्श 14 बयान लादूसिंह, प्रदर्श 15 सूचना के अंधिकार के तहत सूचना उपलबध कराने बाबत् पत्र, प्रदर्श 16 अंतिम प्रतिवेदन अकाल या अचानक मौत इंसान प्रदर्शित करवाए हैं।

9. इसके विपरीत अप्रार्थी की तरफ से कुंवरपाल सिंह बतौर एन.ए.डब्ल्यू. 01 न्यायालय में उपस्थित हुआ है, जिसने मौखिक साक्ष्य में अपना हल्फनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही से कारित हुई है। विद्युत विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी की कोई लापरवाही नहीं है। इसके समर्थन में एक अन्य गवाह लक्ष्मण सिंह एन.ए.डब्ल्यू. 02 पेश हुआ है। उसके द्वारा भी कथन

किया गया है कि मृतक की स्वयं की लापरवाही से मृत्यु हुई है। अप्रार्थीगण की तरफ से दसतावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए. 01 बयान कुंवरपाल सिंह, प्रदर्श एन.ए. 02 बयान लक्ष्मण सिंह, प्रदर्श एन.ए. 03 बयान रोड सिंह, प्रदर्श एन.ए. 04 बयान सीता देवी, प्रदर्श एन.ए. 05 बयान प्यारी देवी, प्रदर्श एन.ए. 06 बयान नारायण सिंह, प्रदर्श एन.ए. 07 नक्शा उपरली बीन, बनजारी, प्रदर्श एन.ए. 08 intimation of accident (उक्त दस्तावेजात् की प्रतिलिपि प्रदर्श एन.ए. 1ए ता एन.ए.8ए है), प्रदर्श एन.ए. 09 जांच रिपोर्ट, प्रदर्श एन.ए. 10 ता प्रदर्श एन.ए. 12 फोटोग्राफ्स को प्रदर्शित करवाया है।

10. बहस पत्रावली सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी का बेटा जवान था, हष्ट–पुष्ट था। वह प्रार्थी के खेत में खड़े पेड़ पर बकरियों के लिए चारा हेतु टहनियां काट रहा था और पास से गुजर रही लाईन पर टहनियां गिर गई, जिससे करंट आने से उसकी मृत्यु हो गई। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह दुर्घटना अप्रार्थी की लापरवाही की वजह से कारित हुई है। पेड़ों की छंटाई करना और लाईन को पेड़ों से ऊपर करने का दायित्व विद्युत विभाग का था, जो उसका निर्वहन करने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रार्थी मृतक की वार्षिक आय 15,000/– रुपये थी। मृतक हष्ट–पुष्ट था, जवान था। उसके दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम में भी काफी खर्चा हुआ है और उसकी असमय मृत्यु से काफी हानि प्रार्थीगण को हुई है। पूरे परिवार के पालन–पोषण की जिम्मेदारी मृतक पर थी। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि एन.ए.डब्ल्यू. 01 ने अपनी जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि उनकी 11 हजार के.वी. की लाइन के बीच आने वाले पेड़ों बाबत् उनका दायित्व होता है। गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि विभाग द्वारा लाइन बाबत् आम जनता की सुरक्षा के लिए कोई चेतावनीपूर्ण साईनबोर्ड नहीं लगा रखा था। इस घटना से पहले विभाग द्वारा लाइन की maintenance की कब जांच की, इसका समय वह नहीं बता सकता। इस घटना से पूर्व जब maintenance कार्य किया गया, तब लाइन पेड़ से दूर थी। प्रदर्श एन.ए. 02 बयान लक्ष्मण ने खुद ने ही लिखे थे। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एन.ए.डब्ल्यू. 02 ने भी यह स्वीकार किया है कि उसके पहुंचने से पहले ही घायल को इलाज के लिए ले गए थे। मौके पर एक–दो जन ही मिले। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि मृतक टहनी काट रहा था, जो लाइन पर गिर गई एवं करंट आने से बच्चा

नीचे गिर गया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि लाइन के आसपास के पेड़ों को काटने की जिम्मेदारी विभाग की होती है। गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि जिस जगह दुर्घटना हुई, उस पेड़ के आसपास कोई चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

01. एम. शशिकला बनाम अध्यक्ष सह प्रबन्धक, मद्रास उच्च न्यायालय, WP No. 12502/2014
02. पश्चिम गुजरात विस कम्पनी लिमिटेड बनाम मिठू भाई, गुजरात उच्च न्यायालय, R/First appeal No. 470/2012

11. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि यह सही साबित नहीं है कि यह पेड़ प्रार्थी के खेत में खड़ा हो। सिर्फ तहरीरी रिपोर्ट में यह तथ्य दर्ज है। पुलिस द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मौके पर जूनियर इंजीनियर ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें गवाहों के बयान लिए गए थे। मृतक की Contributory negligence, उसके बयानों से एवं मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। लाइन पेड़ के ऊपर से नहीं गुजर रही थी, 11 हजार के.वी. की लाईन पेड़ के पास से गुजर रही थी, अगर मृतक जरा सी सावधानी बरतता तो दुर्घटना से बचा जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नक्शा मौका से भी यह साफ जाहिर है कि पेड़ के पास से लाइन गुजर रही थी। फोटोग्राफ्स भी प्रदर्श एन.ए. 10 से एन.ए. 12 भी यही जाहिर करती है।

12. मैंने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया एवं तर्कों पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सादर अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों के संबंध में मृतक की मृत्यु बिजली के करंट से हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि बिजली के करंट की चपेट में आने से मृतक की मृत्यु कारित हुई है, जिसकी पुष्टि ए.डब्ल्यू. 01 व 02 के बयानों से एवं एन.ए.डब्ल्यू. 01 व 02 की जिरह से तथा PMR से होती है, लेकिन न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या बिजली की सप्लाई के रखरखाव में अप्रार्थीगण की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से मृतक के करंट लगा और उसकी मृत्यु हो गई?

13. प्रार्थी के हल्फनामे एवं तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01 में यह कथन किया गया है कि

मृतक अपने खेत में खड़े हुए पेड़ पर टहनियां काट रहा था और पास से गुजर रही बिजली की तार से टहनी टच होने से करंट आने से उसकी मृत्यु हो गई। यह तथ्य प्रार्थी ने अपने हल्फनामा, जो न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, में भी दर्ज किया है कि उसके खेत में पेड़ की छंगाई करते समय पेड़ से निकलती हुई विद्युत लाईन से टच होने के कारण करंट आने से उसकी मृत्यु हो गई। दौराने प्रतिपरीक्षण इस तथ्य का खण्डन नहीं किया जा सका कि पेड़ उसके खेत में नहीं था। किसी भी तथ्य का अगर खण्डन नहीं किया जाता है, तो वह तथ्य साबित होना माना जाता है। हालांकि ए.डब्ल्यू. 01 ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श 01 में यह अंकित नहीं है कि बिजली विभाग की लापरवाही से घटना हुई हो। यह सही है कि घटनास्थल पर लाईन सही थी कोई तार टूटा हुआ नही था। यह सही है कि विद्युत लाईन जमीन से निधारित ऊंचाई पर थी। यह सही है कि मेरा बच्चा पेड़ पर चढ़कर बकरियों के लिये टहनिया काट रहा था। यह कहना गलत है दुर्घटना बच्चे की गलती से हुई हो। स्वतः कहा कि बिजली की लाईन नहीं निकलती तो घटना नही होती। यह सही है कि विद्युत लाईन काफी समय से जा रही है। यह सही है कि इस लाईन को हटाने के लिये विद्युत विभाग में उसने कोई शिकायत नहीं की और ना ही पेड़ को काटने के लिये विद्युत विभाग वालो को कहा। यह कहना सही है कि पेड़ में से लाइन जा रही हो तो पेड़ की छंगाई के लिये लाइन बंद करवानी पडती है। यह सही है कि मेरे बच्चे ने पेड़ की छंगाई के लिये लाइन बंद नहीं करवाई। यह सही है कि घटना घटने के बाद भी उसने बिजली विभाग के अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी और ना ही आज दिन तक सूचना दी।

14. कोई भी व्यक्ति या संस्थान जब किसी hazardous industory का प्रबंधन करता है तो strict liability का नियम तभी लागू होता है। यहां अप्रार्थी का दायित्व था कि विद्युत प्रवाहित तारों के उचित रखरखाव या मरम्मत करने में बिजली संचालन में लापरवाह रहा हो, क्योंकि 11 के.वी. लाइन में विद्युत प्रवाह की वह लाइन थी, जो नक्शा मौका प्रदर्श 07ए से भी जाहिर होता है कि लाइन बिल्कुल पेड़ के पास से जा रही है। फोटोग्राफ प्रदर्श 10ए एवं 11 ए से भी यह जाहिर होता है कि लाइन बिल्कुल पेड़ के करीब से जा रही थी और पेड़ चारदीवारी के अंदर था। धारा 68 विद्युत अधिनियम 2003 के नियम 91 में यह निर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों, गलियों या जहां आबादी है, उसमें विद्युत सप्लाई के लिए बिजली विभाग

क्या–क्या सुरक्षा प्रबंध करता है। घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1ए में अप्रार्थी पक्ष की लापरवाही साबित करना जरूरी है, जिसको साबित करने का भार प्रार्थी/वादी पर है। जिसके संबंध में प्रार्थी की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 06 पेश कर प्रदर्शित करवाई गई, जिससे यह साबित होता है कि मृतक की मृत्यु करंट लगने की वजह से हुई थी। अगर उसकी कोई शिकायत भी नहीं की गई है, तब भी यह दायित्व बिजली विभाग का था। अप्रार्थी के गवाह एन.ए.डब्ल्यू.01 एवं एन.ए.डब्ल्यू.02 दोनों अपनी जिरह में यह स्वीकार करते हैं कि पड़ों की छंटाई का दायित्व उनका था। अप्रार्थी द्वारा भी यह सुझाव प्रार्थी के गवाह ए.डब्ल्यू.2 को सुझाव दिया गया है कि अगर मृतक महेन्द्र पेड़ पर चढ़कर टहनी नहीं काटता तो, दुर्घटना नहीं होती। उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अप्रार्थी द्वारा संबंधित पेड़ की छंटाई ना करके लाईन को पेड़ से ऊंचा ना करके लापरवाही बरती है। जिससे मृतक महेन्द्र की मृत्यु कारित हुई। प्रार्थी इस विवाद्यक को साबित करने में सफल रहा है। अतः यह विवाद्यक प्रार्थी के हक में एवं अप्रार्थी के विरुद्ध तय किया जाता है।

II) क्या प्रार्थी, अप्रार्थी से क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी है?

15. उक्त बिंदु के संबंध में प्रार्थी की तरफ से प्रार्थी नारायण सिंह स्वयं बतौर ए.डब्ल्यू. 01 उपस्थित हुआ है, जिसने अपना हल्फनामा पेश किया, जिसमें दुर्घटना की ताईद करते हुए कथन किया है कि उसका बेटा पेड़ पर टहनियां काट रहा था। टहनी तार के टच हो गई, जिससे करंट लगने से उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अन्य गवाह न्यायालय में ए.डब्ल्यू. 02 ज्ञानसिंह उपस्थित हुआ, उसने भी अपना हल्फनामा पेश कर प्रार्थी के कथनों को दोहराया है। प्रार्थी की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 02 कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना टॉडगढ़ द्वारा पुलिस उप अधीक्षक को प्रेषित पत्र दिनांक 01.07.2019, प्रदर्श 03 फर्द पंचायतनामा, प्रदर्श 04 अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण, प्रदर्श 05 अंतिम प्रतिवेदन अकाल या अचानक मौत इंसान, प्रदर्श 06 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श 07 प्रतिलिपि रोजनामचा आम, प्रदर्श 08 फर्द नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श 09 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श 10 चिकित्साधिकारी को लिखा गया पत्र, प्रदर्श 11 बयान ज्ञान सिंह, प्रदर्श 12 बयान नारायण सिंह, प्रदर्श 13 बयान अमरसिंह, प्रदर्श 14 बयान लादूसिंह, प्रदर्श 15 सूचना के अंधिकार के तहत सूचना उपलबध कराने बाबत् पत्र,

प्रदर्श 16 अंतिम प्रतिवेदन अकाल या अचानक मौत इंसान प्रदर्शित करवाए हैं।

16. इसके विपरीत अप्रार्थी की तरफ से कुंवरपाल सिंह बतौर एन.ए.डब्ल्यू. 01 न्यायालय में उपस्थित हुआ है, जिसने मौखिक साक्ष्य में अपना हल्फनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही से कारित हुई है। विद्युत विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी की कोई लापरवाही नहीं है। इसके समर्थन में एक अन्य गवाह लक्ष्मण सिंह एन.ए.डब्ल्यू. 02 पेश हुआ है। उसके द्वारा भी कथन किया गया है कि मृतक की स्वयं की लापरवाही से मृत्यु हुई है। अप्रार्थीगण की तरफ से दसतावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए. 01 बयान कुंवरपाल सिंह, प्रदर्श एन.ए. 02 बयान लक्ष्मण सिंह, प्रदर्श एन.ए. 03 बयान रोड सिंह, प्रदर्श एन.ए. 04 बयान सीता देवी, प्रदर्श एन.ए. 05 बयान प्यारी देवी, प्रदर्श एन.ए. 06 बयान नारायण सिंह, प्रदर्श एन.ए. 07 नक्शा उपरली बीन, बनजारी, प्रदर्श एन.ए. 08 intimation of accident (उक्त दस्तावेजात् की प्रतिलिपि प्रदर्श एन.ए. 1ए ता एन.ए.8ए है), प्रदर्श एन.ए. 09 जांच रिपोर्ट, प्रदर्श एन.ए. 10 ता प्रदर्श एन.ए. 12 फोटोग्राफ्स को प्रदर्शित करवाया है।

17. बहस पत्रावली सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि घटना के समय मृतक की उम्र 21 वर्ष थी, हष्ट–पुष्ट था, कमाने वाला था, उसकी वार्षिक आय 15,000/– रुपये थी। अतः उसको देखते हुए प्रार्थी की आय की हानि के बदले उसको क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाए।

18. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि उक्त दुर्घटना में मृतक की Contributory negligence है तथा उसकी लापरवाही की वजह से ही उसकी मृत्यु कारित हुई है।

19. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तर्कों पर मनन किया गया। न्यायालय को प्रार्थी की आय की हानि तय करनी है। प्रार्थी ने स्वयं ही मृतक की आय 15,000/– रुपये वार्षिक अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है। घटना के समय उसकी उम्र 21 वर्ष थी। हालांकि MACT प्रकरणों में क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का कानून में प्रावधान/फॉर्मूला दिया गया है, जिसे एनालॉजी draw जा सकती है। 15,000 × 18 = 2,70,000 + दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम खर्च 40,000/– रुपये इस प्रकार कुल 3,10,000/– रुपये आय की हानि माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

विवाद्यक संख्या 03:–

20. उक्त विवाद्यक का सिद्धिभार अप्रार्थी पर रखा गया है, जिसके संबंध में अप्रार्थी की तरफ से कुंवरपाल सिंह एन.ए.डब्ल्यू. 01 व लक्ष्मण सिंह एन.ए.डब्ल्यू. 02 का हल्फनामा न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही से कारित हुई है। विद्युत विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी की कोई लापरवाही नहीं है।

21. इसके विपरीत प्रार्थी की तरफ से प्रार्थी नारायण सिंह स्वयं बतौर ए.डब्ल्यू. 01 व ए.डब्ल्यू. 02 ज्ञानसिंह का हल्फनामा प्रस्तुत हुआ, जिसमें दुर्घटना की ताईद करते हुए कथन किया है।

22. बहस सुनी गई।

23. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि उक्त दुर्घटना मृतक की स्वयं की गलती से कारित हुई, उसमें विभाग किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु बाध्य नहीं है।

24. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि यदि विभाग द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन सही प्रकार से किया जाता तो उक्त दुर्घटना कारित नहीं होती। पेड़ की टहनी तार के टच होने से करंट आने के कारण प्रार्थी के बेटे (मृतक महेन्द्र सिंह) की मृत्यु कारित हुई है।

25. मैंने सुना। पत्रावली का अवलोकन किया एवं तर्कों पर मनन किया। उपरोक्त विवाद्यक संख्या 1 के निर्णयानुसार अप्रार्थी की लापरवाही माना गई है। अतः अप्रार्थी यह साबित करने में सक्षम नहीं हो पाया है कि उनकी लापरवाही की वजह से मृतक की मृत्यु नहीं हुई है। अतः उक्त विवाद्यक अप्रार्थी के विरुद्ध तय किया जाता है।

अनुतोष:–

26. उपरोक्तानुसार विवाद्यक संख्या 01, 02, 03 प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी के विरुद्ध निर्णीत किए गए हैं। अतः दावा प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किए जाने योग्य जाने योग्य प्रतीत होता है।

।। आदेश ।।

27. अतः प्रार्थी नारायण सिंह व अन्य द्वारा प्रस्तुत दीवानी वाद (क्लेम याचिका) विरुद्ध अप्रार्थीगण अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अंतर्गत धारा 1 क स्वीकार किया जाकर कर वाद में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति राशि

3,10,000/- रुपये **(अक्षरे तीन लाख दस हजार रुपये)** की डिक्री संयुक्ततः सव्यय प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण उक्त राशि पर वाद प्रस्तुति की तिथि से वसूली तक **7.5 %** वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तद्नुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

28. उक्त क्षतिपूर्ति राशि पाने से पूर्व प्रार्थीगण इस न्यायालय में अपना शपथ पत्र इस आशय के पेश करें कि इस दुर्घटना से संबंधित अन्य कोई वाद पत्र अन्य किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया है, न ही कोई क्षतिपूर्ति राशि अन्यत्र कहीं से भी प्राप्त की है।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
ब्यावर।

29. निर्णय आज दिनांक **18.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
ब्यावर।

PAWAN
Steno Grade III "Authenticated Document" Digitally signed by PAWAN Date: 2026.03.19 16:57:11 +0530